

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : राजकुमार कस्वा आरएस

प्रकरण सं० : 245/15

अनवान :

1. रामकुमार पुत्र उदमीराम जाति जाट निवासी सरदारपुराबास (चिड़ियांगाधी) तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. महेन्द्रसिंह पुत्र उदमीराम जाति जाट निवासी सरदारपुराबास (चिड़ियांगाधी) तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

- वादीगण

बनाम

1. अमरसिंह पुत्र मोती सिंह जाति राजपूत निवासी गांधीबड़ी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़। (फौत)
1ए. बिमला पत्नि अमरसिंह जाति राजपूत निवासी गांधीबड़ी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
1बी. सुरेन्द्र } पुत्रान अमरसिंह पुत्र मोतीसिंह जाति राजपूत
1सी. जितेन्द्र } निवासीगण गांधीबड़ी तहसील भादरा।
1डी. रीतू } पुत्रियां अमरसिंह पुत्र मोतीसिंह जाति राजपूत
1ई. वर्षा } निवासी गांधीबड़ी तहसील भादरा।
2. सरस्वती बेवा मोतीसिंह जाति राजपूत निवासी गांधीबड़ी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़। (फौत)
2ए. शकुतला पुत्री मोतीसिंह जाति राजपूत निवासी गांधीबड़ी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत खाता विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.एक्ट.1955

उपस्थिति : वकील श्री मदन कड़वासरा : वादीगण

निर्णय

दिनांक : 15/12/12

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वाद भूमि चक 7 एसडीआर के खाता सं० 5/6 के मु०नं० 51 के किला नं० 6, 7, 11 ता 20, 22 ता 25, कुल किता 16, की 4.0480 है० जिसमें 3.9480 है० नहरी 0.1000 है० गै०मु० खाला, मु०नं० 52 के किला नं० 1 ता 25, कुल किता 25, की 6.3250 है० जिसमें 6.0740 है० नहरी, 0.2510 है० गै०मु० रास्ता मु०नं० 53 के किला नं० 10, 11, 20, 21 कुल किता 4 की 1.012 है० बारानी मु०नं० 62 के किला नं० 1 की 0.2530 है० बारानी मु०नं० 63 के किला नं० 1 ता 15, कुल किता 15 की 3.7950 है० में 1.5180 है० नहरी व 2.2020 है० बारानी 0.0750 है० गै०मु० रास्ता मु०नं० 64 के किला नं० 3 ता 8, 14 ता 17, 24 कुल किता 11 कुल 2.7830 है० की 2.6830 है० नहरी व 0.1000 है० गै०मु०खाला। कुल किता 72 कुल

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़



क्षेत्रफल 18.2160 है० जिसमें नहरी 14.2230 है० व बारानी 3.4670 है० गै०मु० रास्ता 0.3260 है० गै०मु० खाला 0.2000 है० कृषि भूमि वादीगण व प्रतिवादी के नाम दर्ज है।

उपरोक्त कृषिभूमि वादीगण ने प्रतिवादी शकुंतला पुत्री मोतीसिंह से जरिये रजिस्ट्री दिनांक 03.01.1977 को खरीद की थी। खरीद करते समय उक्त रजिस्ट्री बेचान में शकुंतला देवी ने रजिस्ट्री में चक 7 एसडीआर के मु०नं० 64 का किला नं० 3 ता 8, 14 ता 17 व 24 कुल किला 11 मय खाला बेचान किया था तथा उक्त बेचान के पश्चात् इन्तकाल सं० 35 दिनांक 05.06.1977 को दर्ज किया गया। उक्त इन्तकाल में भी उपरोक्त अनुसार ही नामान्तरकरण दर्ज हुआ। लेकिन जमाबंदी में सामिल खाते में भूमि दर्ज रही जबकि नामान्तरण मु०नं० किला नं० के हिसाब से दर्ज हो गया।


वादीगण व प्रतिवादीगण के सामिल खाते की कृषि भूमि है। वादीगण अपनी खरीदशुदा भूमि पर काबिज है तथा अपना खाता अलग से कायम करवा पाने का कानूनी अधिकारी है। सामिल खाता रहने के कारण आपस में सीव डोल को लेकर पक्षकारों में तनाजा रहता है व भूमि का सुधार कार्य नहीं हो पाता है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार राजस्व भादरा को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर प्राथमिक डिक्री जारी की गई व विभाजन प्रस्ताव मंगवाने हेतु भिजवाई गई। अब तहसीलदार भादरा से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हो चुका है प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर पक्षकारान को सुना गया। कोई एतराज/आपत्ति प्राप्त नहीं हुई।

अतः मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद वादीगण अंतिम डिक्री किया जाता है एवं मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद भूमि पक्षकारान के हिस्सा में निम्नानुसार रहेगी :-

1. महेन्द्रसिंह, रामकुमार पि० उदमीराम कौम जाट सा० सरदारपुराबास चिडियागांधी खातेदार के पास :- चक 7 एसडीआर के मु०नं० 64 के किला नं० 3, 4 की 0.506 है० नहरी, किला नं० 5 की 0.253 है० नहरी 0.228 है० खाला 0.025 है०, किला नं० 6 की 0.253 है० नहरी 0.228 है० खाला 0.025 है०, किला नं० 7, 8, 14 की 0.759 है० नहरी, किला नं० 15 की 0.253 है० नहरी 0.228 है० खाला 0.025 है० किला नं० 16 का 0.253 नहरी 0.228 है० खाला 0.025 है० किला नं० 17, 24 की 0.506 है० नहरी कुल 2.783 है० मय खाला
2. बिमला पत्नि स्व० अमरसिंह 192 हिस्सा सुरेन्द्र जितेन्द्र रीतु वर्षा पि० अमरसिंह 768 हिस्सा शकुन्तला पुत्री मोतीसिंह 20 हिस्सा, सरस्वती बेवा मोतीसिंह (मृतक) 240 हिस्सा कौम राजपूत सा० गांधीबडी खातेदार के पास :- चक 7 एसडीआर के मु०नं० 51 के किला नं० 6 की 0.253 है० नहरी 0.228 है० खाला 0.025 है० किला नं० 7, 11 ता 14 की 1.265 है० नहरी किला नं० 15 की 0.253 है० नहरी 0.228 है० खाला 0.025 है० किला नं० 16 की 0.253 है० नहरी 0.228 है० खाला 0.025 है० किला नं० 17 ता 20, 22 ता 24 की 1.771 है० नहरी, किला नं० 25 की 0.253 है० नहरी 0.228 है० खाला 0.025 है० मु०नं० 52 के किला नं० 1 की 0.253 है० नहरी 0.228 है० रास्ता 0.025 है० किला नं० 2 की 0.253 है० नहरी 0.228 है० रास्ता 0.025 है० किला नं० 3 की 0.253 है० नहरी 0.228 है० रास्ता 0.025 है० किला नं० 4 की 0.253 है० नहरी 0.228 है० रास्ता 0.025 है० किला नं० 5 की 0.253 है० नहरी 0.202 है० रास्ता 0.051 है० किला नं० 6 की 0.253 है० नहरी 0.228 है० रास्ता 0.025 है० किला नं० 7 ता 14 की 2.024 है० नहरी किला नं० 15 की 0.253 है० नहरी 0.228 है० रास्ता 0.025 है० किला नं० 16 की 0.253 है० नहरी 0.228 है० रास्ता 0.025 है० किला नं० 17 ता 24 की 2.024 है० नहरी किला नं० 25 की 0.253 है०

B/S




है0 नहरी 0.228 है0 रास्ता 0.025 है0 मु0नं0 53 के किला नं0 10, 11, 20, 21 की 1.012 है0 मु0नं0 62 के किला नं0 1 की 0.253 है0 बारानी मु0नं0 63 के किला नं0 1, 2 की 0.506 है0 नहरी, किला नं0 3, 4 की 0.506 है0 बारानी, किला नं0 5 की 0.253 है0 बारानी 0.228 है0 रास्ता 0.025 है0 किला नं0 6 की 0.253 है0 बारानी 0.228 है0 रास्ता 0.025 है0 किला नं0 7, 8 की 0.506 है0 बारानी किल नं0 9 ता 12 की 1.012 है0 किला नं0 13, 14 की 0.506 है0 बारानी किला नं0 15 की 0.253 है0 बारानी 0.228 है0 रास्ता 0.025 है0 कुल 15.433 है0 नहरी 11.540 है0 बारानी 3.467 है0 रास्ता 0.326 है0 खाला 0.100 है0

यदि विवादित कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन यथावत् रखा जावे उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 15/12/17 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(राजकुमार कस्वा)

R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ़

पर्चा डिक्री

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं० : 245/15

अनवान :

1. रामकुमार पुत्र उदमीराम जाति जाट निवासी सरदारपुराबास (चिड़ियांगाधी) तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. महेन्द्रसिंह पुत्र उदमीराम जाति जाट निवासी सरदारपुराबास (चिड़ियांगाधी) तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

- वादीगण

बनाम

अमरसिंह पुत्र मोती सिंह जाति राजपूत निवासी गांधीबड़ी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़। (फौत)

1ए. बिमला पत्नि अमरसिंह जाति राजपूत निवासी गांधीबड़ी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

- | | | |
|----------------|---|--|
| 1बी. सुरेन्द्र | } | पुत्रान अमरसिंह पुत्र मोतीसिंह जाति राजपूत |
| 1सी. जितेन्द्र | | निवासीगण गांधीबड़ी तहसील भादरा। |
| 1डी. रीतू | } | पुत्रियां अमरसिंह पुत्र मोतीसिंह जाति राजपूत |
| 1ई. वर्षा | | निवासी गांधीबड़ी तहसील भादरा। |

2. सरस्वती बेवा मोतीसिंह जाति राजपूत निवासी गांधीबड़ी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़। (फौत)

2ए. शकुतला पुत्री मोतीसिंह जाति राजपूत निवासी गांधीबड़ी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

- प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ राजकुमार कस्वा उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री मदन कड़वासरा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद वादीगण अंतिम डिक्री किया जाता है एवं मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद भूमि पक्षकारान के हिस्सा में निम्नानुसार रहेगी :-

1. महेन्द्रसिंह, रामकुमार पि० उदमीराम कौम जाट सा० सरदारपुराबास चिड़ियागांधी खातेदार के पास :- चक 7 एसडीआर के मु०न० 64 के किला नं० 3, 4 की 0.506 है० नहरी, किला नं० 5 की 0.253 है० नहरी 0.228 है० खाला 0.025 है०, किला नं० 6 की 0.253 है० नहरी 0.228 है० खाला 0.025 है०, किला नं० 7, 8, 14 की 0.759 है० नहरी, किला नं० 15 की 0.253 है० नहरी 0.228 है० खाला 0.025 है० किला नं० 16 का 0.253 नहरी 0.228 है० खाला 0.025 है० किला नं० 17, 24 की 0.506 है० नहरी
2. बिमला पत्नि स्व० अमरसिंह 192 हिस्सा सुरेन्द्र जितेन्द्र रीतू वर्षा पि० अमरसिंह 768 हिस्सा शकुतला पुत्री मोतीसिंह 20 हिस्सा, सरस्वती बेवा मोतीसिंह (मृतक) 240 हिस्सा कौम राजपूत सा० गांधीबड़ी खातेदार के पास :- चक 7 एसडीआर के मु०न० 51 के

किला नं० 6 की 0.253 है० नहरी 0.228 है० खाला 0.025 है० किला नं० 7, 11 ता 14 की 1.265 है० नहरी किला नं० 15 की 0.253 है० नहरी 0.228 है० खाला 0.025 है० किला नं० 16 की 0.253 है० नहरी 0.228 है० खाला 0.025 है० किला नं० 17 ता 20, 22 ता 24 की 1.771 है० नहरी, किला नं० 25 की 0.253 है० नहरी 0.228 है० खाला 0.025 है० मु० नं० 52 के किला नं० 1 की 0.253 है० नहरी 0.228 है० रास्ता 0.025 है० किला नं० 2 की 0.253 है० नहरी 0.228 है० रास्ता 0.025 है० किला नं० 3 की 0.253 है० नहरी 0.228 है० रास्ता 0.025 है० किला नं० 4 की 0.253 है० नहरी 0.228 है० रास्ता 0.025 है० किला नं० 5 की 0.253 है० नहरी 0.202 है० रास्ता 0.051 है० किला नं० 6 की 0.253 है० नहरी 0.228 है० रास्ता 0.025 है० किला नं० 7 ता 14 की 2.024 है० नहरी किला नं० 15 की 0.253 है० नहरी 0.228 है० रास्ता 0.025 है० किला नं० 16 की 0.253 है० नहरी 0.228 है० रास्ता 0.025 है० किला नं० 17 ता 24 की 2.024 है० नहरी किला नं० 25 की 0.253 है० नहरी 0.228 है० रास्ता 0.025 है० मु० नं० 53 के किला नं० 10, 11, 20, 21 की 1.012 है० मु० नं० 62 के किला नं० 1 की 0.253 है० बारानी मु० नं० 63 के किला नं० 1, 2 की 0.506 है० नहरी, किला नं० 3, 4 की 0.506 है० बारानी, किला नं० 5 की 0.253 है० बारानी 0.228 है० रास्ता 0.025 है० किला नं० 6 की 0.253 है० बारानी 0.228 है० रास्ता 0.025 है० किला नं० 7, 8 की 0.506 है० बारानी किला नं० 9 ता 12 की 1.012 है० किला नं० 13, 14 की 0.506 है० बारानी किला नं० 15 की 0.253 है० बारानी 0.228 है० रास्ता 0.025 है० कुल 15.433 है० नहरी 11.540 है० बारानी 3.467 है० रास्ता 0.326 है० खाला 0.100 है०

यदि विवादित कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन यथावत् रखा जावे। उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 15/12/17 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



(राजकुमार कस्वा)

R.A.S.

उपखण्ड अधिकारी

भादरा, जिला हनुमानगढ़